उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 –158/1985

सिद्वेश्वर दूबे वगै0 .....वादीगण।

बनाम्

सिद्धनाथ चौबे वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

08.12.2025

उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 03.09.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 धारा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के वादी सं0 01 सिद्धनाथ दूबे की मृत्यु दिनांक 09.06.2025 को हो चुकी है। अनुरोध करते हैं कि मृत वादी सं0 01 सिद्धनाथ दूबे का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा मृत वादी सं0 01 सिद्धनाथ दूबे के वारीसान चन्द्रावती देवी, रोहित दूबे , पूजा दूबे, हर्षित, वर्णीत, कृतिका तिवारी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय जो न्यायहित में अति आवश्यक है। अनुरोध करते है कि उक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर अनापति अंकित किया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है जिसपर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर अनापति अंकित किया गया है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 03.09.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 धारा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा मृत वादी सं0 01 सिद्धनाथ दूबे का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा मृत वादी सं0 01 के वारीसान चन्द्रावती देवी, रोहित दूबे , पूजा दूबे, हर्षित, वर्णीत, कृतिका तिवारी का नाम मृत वादी सं0 01 के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक–09.12.2025 वास्ते शेष साक्ष्य हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)